

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत हेत्रीय कार्यालय, देहरादून
25 सुनाष रोड, देहरादून-248001
फ़ॉक्स-0135-2650809
फ़ॉक्स-0135-2653010
ईमेल- moef.ddn@env.gov.in



GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT,
FOREST &
CLIMATE CHANGE
INTEGRATED REGIONAL OFFICE,
DEHRADUN
25 SUBASHI ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@env.gov.in

पत्र सं० ४८ी/यू०सी०पी०/०६/८६/२०२१/एफ.सी. (1141)

दिनांक: ०६/१२/२०२१

संलग्न में,

अपर मुख्य सचिव (वन),
उत्तराखण्ड शासन,
सुनाष रोड, देहरादून।

विषय:- जनपद-चमोली में ना० मुख्यमंत्री घोषणा के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र थराली के विकासखण्ड घाट के अंतर्गत नन्दप्रयाग-घाट मोटर मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुधारीकरण हेतु ९.०५३ हेठो वन FP/UK/Road/143929/2021)

सन्दर्भ:- सचिव प्रभारी, उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या-1090/x-3-21/1(85)/2021 दिनांक 01.09.2021 नहोदय,

उपरोक्त विषय पर सचिव प्रभारी, उत्तराखण्ड शासन के सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयाकृत प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-२ के तहत स्वीकृति मांगी थी।

प्रश्नगत प्रकरण पर समय-समय पर राज्य सरकार से आवश्यक जानकारियाँ/दस्तावेज प्राप्त किये गये, जिनके प्राप्त होने के उपरान्त तथा प्रस्ताव पर Regional Empowered Committee (REC) की दिनांक 30, नवम्बर 2021 को हुई बैठक में संरक्षित होने के उपरान्त केन्द्र सरकार जनपद-चमोली ने० मा० मुख्यमंत्री घोषणा के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र थराली के विकासखण्ड घाट के अंतर्गत नन्दप्रयाग-घाट मोटर मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुधारीकरण हेतु ९.०५३ हेठो वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (Online Proposal no.

- वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।
- परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि साँपी जाएगी।
- प्रतिपूरक वनीकरण:

क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर १८.१०६ हेठो सिविल सौंप्यम भूमि ग्राम जोखना, थमतोली मोख एवं धनसारी खरसा नं० ८०७, ३००, ३१९, ३२०, ३२२, ३२३, २१५५, १८४२, ३०८ में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वादेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचें।

ख) गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित एवं रूपान्तरित किया जाएगा। भूमि के हस्तान्तरण, नामान्तरण एवं Notification करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत् स्वीकृति प्रदान की जायेगी। एफ.सी.ए., 1980 की guideline के para 2.4 (i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्थानित्य से बाहर हैं एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये हैं को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात्

Atchmeli

E.F.F.PCU, PWD
U.P.R.I.R.A.R.E
D.Dun

AM

AAE,
PWD KPY

1/3 contd..

भारतीय नदी अधिनियम, 1927 के अंतर्गत निवित स्थीकृति से पूर्ण आरक्षित/संरक्षित नदी घोषित किया जाना आवश्यक है।

ग) नदी में किसी भी अन्य योजना के तहत युक्तिपूर्ण कार्य नहीं किया गया है।

घ) प्रौद्योगिक कार्य के लिए नदी को नियन्त्रित किया जायेगा।

घ) The KML files of the area to be diverted, the CA areas, the proposed SMC work, the proposed Catchment Area Treatment area and the WLMP area shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details before issuing working permission towards "linear" projects or submitting compliance report for seeking Stage-II approval, as the case may be.

इ.) राज्य सरकार एफ.सी.ए., 1980 की गाइडलाइन में उल्लेखित मानकों के तहत चर्चात्मन दर्शन प्रत्याशित लागत गृहि होने वाले उपचार नियन्त्रित करेगी। साथ ही उपलब्ध मानक के विभिन्न हिस्सों में पूर्ण चर्चात्मन नार्त की चौड़ाई के सामन्य में विस्तृत जानकारी राज्य शासन द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी।

4. प्रतिपूरक बनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक बनीकरण योजना के अनुसार प्रतिपूरक नदी दर्शन पर प्रतिपूरक बनीकरण की लागत एवं सरक्षण, सीमांकन और लोमंत जीवीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रतिपूरक बनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक बनीकरण योजना के अनुसार लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अधिन रूप से नदी विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक प्रत्याशित लागत गृहि होने वाले उपचार नियन्त्रित किया जाएगा।

5. शुद्ध वर्तमान मूल्य

(क) इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या: 2027/1995 में LA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मानालय द्वारा प्राचांक 5-1/1998-एफ.सी. (Pt. 2) दिनांक 18.09.2003, 5-2/2006-एफ.सी. दिनांक 03.10.2006 एवं 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 में जारी विशानिदृश्यानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 9.053 हो नदी क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वर्सूल करेगी।

(ख) विशापात्र नामिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित नदी भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अतिम रूप देने के बाद देच हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वर्सूल जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शापथपत्र प्रस्तुत करेगा।

6. प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित नदी भूमि में पेढ़ों की कटाई को चूनूतम रखेगा एवं प्रमाणित होने वाले वृक्षों की संख्या प्रस्ताव के अनुसार 1212 वृक्षों एवं 146 saplings से अधिक नहीं होगी एवं केंद्र राज्य नदी विभाग के सख्त प्रयोक्षण में करेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य नदी विभाग के पास पेढ़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।

7. प्रयोक्ता अभिकरण नदी प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल (<https://parivesh-nic.in/>) के माध्यम से शातिपूरक बनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में रखनातिरि/ जमा किए जाएंगे।

8. एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुसार जनवरी निला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से नुनिरेचित किया जाएगा।

9. प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढ़ाएगा।

10. संरक्षित क्षेत्रों / नदी क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएंगे।

11. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपर्योगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्थिरता यदि लागू हो साप्त करेगा।

12. केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट लान नहीं बदला जाएगा।

13. नदी भूमि पर कोई भी शामिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।

14. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भूमि वार्ता को राज्यीय नदी विभाग अथवा नदी विकास निगम अथवा वैकल्पिक इंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक इंधन दिया जाएगा।

15. संस्थान द्वारा मडल अधिगणी जो निर्देशानुसार, प्रवायतित द्वारा भूमि की सीमा का परियोजना लागत पर आरोपी सी निलंबन द्वारा सीमाकान किया जाएगा। इस पर Forward/Backward bidding भी की जाएगा।

16. परियोजना कार्य के नियातन के लिए निर्माण के परियहन के लिए द्वारा क्षेत्र के अंदर कोई अलीरका या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।

17. द्वारा भूमि का उपयोग नियमों के प्रस्ताव में दिनिहिट प्रयोजनों के अंतरिक्त अन्य किनी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।

18. कांड जलवाया की पूर्णतुमात्रा के लिए निर्माण सामग्री के परियहन के अंदर कोई अलीरका या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।

19. इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन यन (संस्करण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं प्रवायतन द्वारा यन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय के दिशानिर्देश फाईल संख्या 11-42/2017-FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी।

20. प्रवायतन, द्वारा एवं जलवायु परियतन मन्त्रालय द्वारा यन एवं वन्यजीवों के संरक्षण य विकास के हित में संनय-संनय पर नियंत्रित रहते लागू होंगी।

21. प्रवायतन अभिकरण पूर्वविदेष स्थानों पर इस प्रकार मलवे का निर्माण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तथा लोना से नोचे न निरे। राज्य के बन विभाग के प्रबंधन में तथा परियोजना की लागत पर, प्रवायतन अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लानाकार निर्माण के लिए एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने इन्हे दीर्घ समय बनाइ जाएगी। निर्माण स्थानों को राज्य के बन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार चानपवट तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निर्माण के लिए यहां की गलाहृ की अनुमति नहीं होगी एवं राज्य सरकार डिस्ट्रिक्ट करोड़ों की दूजी वृध्यक ते इस याचालय ने प्रत्यक्षत करोड़ों।

22. पर्यावरण पर लानु होते हैं तो उनके अधान जलसी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रशास्त्र एजेंसी को जिम्मेवारी होगी।

23. अनुपालना रिपोर्ट ई-पोर्टल (<https://parivesh.nic.in/>) पर अपलोड की जाएगी।

भवदीया,

(मीरा अध्यर्थ)
उप महानिरीक्षक, बन (केंद्र)

प्रतीलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

- अपर यन महानिरीक्षक (एफ०सी०), प्रवायतन, बन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय, इन्द्रिय पर्यावरण भवन, जोरवारी रोड, अलीगंज, नई दिल्ली।
- प्रदुख द्वारा सरकार एवं नोडल अधिकारी, बन संस्करण, इन्द्रिय नगर फोरेस्ट कालानी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
- आदेश पत्रावली।

उप महानिरीक्षक, बन (केंद्र)

E.E.M.P.WA

D.R.